भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3245

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामले

†3245. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस फैलने के न्यूनतम पाँच पुष्टिकृत हालिया मामलों और केरल में इस वायरस की मौजूदगी के बारे में जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जानवरों से मानवों में फैलने वाले इस रोग को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं, और इससे प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश के कंटेनमेंट ज़ोन में निपाह की जाँच शुरू करने के लिए कोई परामर्श जारी किया है, साथ ही, इस मामले में गंभीर रोगियों की देख-रेख सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी से मृत्यु दर 40% से 75% तक होने और इसके लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या एंटीवायरल दवा न होने को देखते हुए, इसे फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या देश में इसके लक्षणों, बचाव और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई जन स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को जानकारी है कि थाईलैंड और सिंगापुर पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों की जाँच कर रहे हैं और यदि हाँ, तो प्रभावित क्षेत्रों से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की गई विशिष्ट यात्रा संबंधी सलाह का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में निपाह वायरस रोग के रिपोर्ट किए गए मामलों से अवगत है। वर्ष 2026 के दौरान, पश्चिम बंगाल ने निपाह वायरस रोग के एक मृत्यु के मामले सहित दो प्रयोगशाला-पुष्ट मामलों की सूचना दी है। जबकि केरल ने एक प्रयोगशाला-पुष्ट मामले की सूचना दी है। सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के तकनीकी सहायता से तुरंत जांच की गई। महामारी की जांच में सहायता, निगरानी को सुदृढ़ करने, संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में सुविधा हेतु और प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त सार्वजनिक

स्वास्थ्य उपायों को कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप अनुक्रिया टीमों (एनजेओआरटी) को पश्चिम बंगाल और केरल दोनों में तैनात किया गया था।

जानवरों से मनुष्यों में ज़ूनोटिक संचरण को रोकने और प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण **अनुलग्नक** में है।

एनसीडीसी ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु एक समान तैयारी, निगरानी, निदान और अनुक्रिया का सहयोग करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शक दस्तावेज़ तैयार और प्रसारित किए हैं, जिनमें मानक परिचालन प्रक्रियाएं, लर्निंग रिसोर्स पैकेज और संचारी रोग अलर्ट शामिल हैं। विवरण निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं: (https://ncdc.mohfw.gov.in/uploads/resource/1769335263_ZDPHI_Manual_2025_V2_06. 11.2025.pdf) और (https://ncdc.mohfw.gov.in/uploads/glimpse_pdfs/1770282425_CD-Alert-NIPAH-Virus.pdf)

जोखिम संचार और सामुदायिक जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए एनसीडीसी ने निपाह वायरस रोग सहित प्राथमिकता वाले जूनाटिक रोगों संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री की एक प्रिंट, ऑडियो और वीडियो संसाधन वाली श्रृंखला तैयार और प्रसारित की है। इन सामग्रियों का उपयोग स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के प्रशिक्षण के साथ-साथ जन जागरूकता और सामुदायिक पहुंच कार्यकलापों के लिए किया जाता है। विवरण निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं:

https://ncdc.mohfw.gov.in/includes/Health_Information/healthcare.php

(च): सरकार को पता है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान, सिंगापुर और थाईलैंड ने भारत के प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तापमान की जांच सहित अस्थायी जन स्वास्थ्य जांच शुरू की थी। ये उपाय एक सीमित अवधि के लिए लागू किए गए थे और बाद में बंद कर दिए गए थे।

अनुलग्नक

निपाह वायरस रोग के प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनाए गए नियंत्रण उपाय और आकस्मिक योजनाएँ:

I. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे वर्ष वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) के साथ निरंतर सहयोग और सहभागिता बनाए रखी, जिससे प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और नैदानिक अभिकर्मकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई। यह निरंतर प्रयास संक्रामक रोगों की तैयारी और अनुक्रिया के लिए क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

II. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) प्रकोप की आशंका वाले संचारी रोगों की निगरानी और अनुक्रिया को अनिवार्य बनाता है। आईडीएसपी देश में निपाह वायरस रोग सहित उभरते और पुन: उभरते रोगों के प्रति त्वरित अनुक्रिया और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

III. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे ने अक्टूबर-नवंबर 2024 से केरल राज्य में तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और पश्चिम बंगाल और केरल में अति तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) की निगरानी बढ़ाकर निपाह की निगरानी को सुदृढ़ किया है।

IV. निपाह वायरस पर एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार किया गया है, जिसे https://ncdc.mohfw.gov.in/nipah-virus-guidelines/ लिंक पर देखा जा सकता है।

V. जूनोटिक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम (एनओएचपी-पीसीजेड) के तहत भारत में निपाह वायरस रोग सहित अन्य पशुजन्य रोगों की रोकथाम, पहचान और अनुक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं।

VI. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर वन हेल्थ को संस्थागत रूप देने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निपाह वायरस सहित सभी पशुजन्य रोगों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पशुजन्य रोग समितियां गठित की गई हैं।

VII. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और विकास केंद्र (एनसीडीसी) ने निपाह वायरस रोग सहित जूनोटिक रोग पर एक तकनीकी मार्गदर्शन तैयार किया है, जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/04/Technical-Guidance-on-Zoonotic-Disease.pdf

VIII. जनता में जागरूकता बढ़ाने और रोग के प्रसार को रोकने के लिए निपाह वायरस रोग संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वीडियो तैयार किया है। इस आईईसी को निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ncdc.mohfw.gov.in/iec-material-on-zoonotic-disease-nipah/
